उत्तर प्रदेश शासन
वित्त(सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-55/2020/एस-2-1422/दस-2020-88क(10)/2017टी0सी0-2
लखनऊ :: दिनाँकः: 29 जुलाई, 2020

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।	वित्त नियंत्रक, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
2	श्री प्रमोद कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, प्रयागराज।	वित्त नियंत्रक, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज।
3	श्री राजेश कुमार पाण्डेय, वित्त नियंत्रक, पुलिस भर्ती बोर्ड उ0प्र0, लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, सतर्कता निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4	श्रीमती अंजू सिंह संत, अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद, मेरठ।	वित्त नियंत्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
5	श्री अरविन्द कुमार उत्तम, वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ0प्र0 लखनऊ।
6	श्री सुशील कुमार गुप्ता, वित्त अधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।	वित्त अधिकारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ। (इस पद का प्रभार श्री अवध नारायण, वित्त अधिकारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ के दिनाँक 31-7-2020 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनाँक 01-8-2020 से प्रभावी माना जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

राम रतन
उप सचिव।

संख्या-55/2020/एस-2-1422(1)/दस-2020, तददिनाँक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/आवास एवं शहरी नियोजन/चिकित्सा शिक्षा/गृह/सतर्कता/राजस्व/सहकारिता/कृषि शिक्षा विभाग, उ0प्र0,शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
3- आयुक्त, निबन्धक सहकारी समितियाँ उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, सतर्कता निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- कुल सचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी/ डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय,लखनऊ/ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ/ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ।
7- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,वाराणसी/प्रयागराज/मेरठ।
8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी/प्रयागराज /मेरठ/लखनऊ।
10- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक कोषागार।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।